न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/498

1. ब्रह्मानन्द पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. चाहन्या बाई बेवा ब्रह्मानन्द।
   1/2. चन्द्र प्रकाश आत्मज ब्रह्मानन्द ।
   1/3. राममूर्ति बाई पुत्री ब्रह्मानन्द ।
   1/4. बंटी बाई पुत्री ब्रह्मानन्द अकवाम निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. गोपी चन्द पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
3. लटूर पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. भवानी बेवा लटूर ।
   3/2. महावीर पुत्र लटूर ।
   3/3. जुगल किशोर पुत्र लटूर ।
   3/4. हेमन्द्र पुत्र लटूर ।
   3/5. रामलीला पुत्री लटूर ।
   3/6. कलावती पुत्री लटूर जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुर उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. रामप्रताप पुत्र श्री पांचू जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. सौसर पुत्र रामप्रताप (मृतक) जरिये कायममुकामांन बेवा शांति बाई बेवा सौसर ।
   4/2. हरिनारायण पुत्र रामप्रताप ।
   4/3. गिर्राज पुत्र श्री रामप्रताप ।
   4/4. रूकमणी पुत्री श्री रामप्रताप जातियान काछी निवासीगण सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. पन्नी बाई बेवा श्योनारायण जाति काछी निवीस सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
6. पीरू लाल पुत्र श्री श्योनारायण जाति काछी निवासी सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कर्नल रघुराज सिंह पुत्र श्री शम्भू सिंह जाति राजपूत निवासी नीमोला तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीपल्दा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 02.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 94 रकबा 08 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 108 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा कुल 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि दिनांक 10.03.1973 को गेलेन्टरी एवार्ड में जिलाधीश कोटा द्वारा आवंटित की गई एवं दिनांक 20.06.73 को वादी को उक्त भूमि पर दखल दिया गया था । 08 बीघा 13 बिस्वा भूमि का वर्तमान रकबा 1.41 हैक्टर बनता है तथा 07 बीघा 02 बिस्वा का वर्तमान रकबा 1.15 हैक्टर बनता है । सेटलमेंट विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 94 के नये खसरा नम्बर 167 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 की 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.18 हैक्टर कुल रकबा 1.10 हैक्टर तथा गत खसरा नम्बर 108 का नया खसरा नम्बर 229 रकबा 0.82 हैक्टर कुल 1.92 हैक्टर का पर्चा वादी के नाम जारी किया गया । वादी द्वारा न्यायालय सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा के आदेश के विरूद्ध भू–प्रबन्ध अधिकारी कोटा के यहॉ अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 07.11.84 को ए0एस0ओ0 पीपल्दा का आदेश दिनांक 05.07.82 निरस्त कर दिया गया और पत्रावली पुनः रिमाण्ड की जाकर वादी को आंवटनशुदा भूमि 15 बीघा 15 बिस्वा का पर्चा दिये जाने बाबत् आदेश दिया किन्तु सेटलमेंट ऑपरेशन तहसील पीपल्दा का बन्द हो जाने के कारण सेटलमेंट विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु कहा गया । वादग्रस्त आराजी से लगी हुई आराजी खसरा नम्बर 96, 81 व 79 है तथा सेटलमेंट द्वारा इन तीनों भूमि के खातेदारों की भूमि कम होने के बावजूद भी इन्हें अधिक भूमि का पर्चा लगान जारी किया गया और पूर्व रकबे से अधिक भूमि का प्रतिवादी क्रम 1 से 7 को खातेदार घोषित किया गया । वादी को राज्य सरकार के आदेशानुसार गेलेन्टरी अवार्ड में मिली भूमि 15 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर कुल 1.92 हैक्टर अर्थात् 12 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया गया है जो 03 बीघा 15 बिस्वा कम होती है इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद पेश करना आवश्यक हो गया है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी कुल रकबा 1.92 हैक्टर के स्थान पर 2.56 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 7 के खाते जो भूमि सेटलमेंट द्वारा अधिक दर्ज कर दी गई है उसे उनके खाते से कम की जाकर वादी के खाते दर्ज करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2006 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2006 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 14.09.2010 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

6. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.09.2010 की पालना में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 14.09.2010 की ओर कोई गौर नहीं किया एवं समस्त तनकीयात का निर्णय मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.1990 की ओर ध्यान नहीं देकर साक्ष्य का अवलोकन किये बिना पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.04.2017 की आदेशिका के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.03.2017 पेश किया गया था जिसमें स्पष्ट था कि प्रतिवादी कम 1 रेस्पोडेन्ट कम 1 बृह्मानन्द की मृत्यु हो चुकी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र शामिल फाईल करके प्रकरण में अगामी तारीख पेशी नियत करते हुए प्रतिवादी कम 1 मृतक के विरूद्ध ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो नल एण्ड वोईड है । अधीनस्थ न्यायलाय ने मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । आस–पास के समस्त खातेदारान की आराजी की पैमाईश नहीं करवायी है । रास्ते की भूमि आवंटित नहीं की जा सकती । वादी ने स्वयं 12 बीघा आराजी पर कब्जा माना है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में [illegible] हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के [illegible] घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा डिक्री किया है । इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 14.09.2010 पर गौर नहीं किया है । तनकीयात का निर्णय मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.1990 की ओर ध्यान दिये बिना एवं साक्ष्य का अवलोकन किये बिना पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.03.2017 पेश किया गया जिसमें स्पष्ट था कि प्रतिवादी कम 1 बृह्मानन्द की मृत्यु हो चुकी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने शामिल फाईल करके आगामी तारीख पेशी नियत करते हुए प्रतिवादी कम 1 मृतक के खिलाफ ही निर्णय एवं डिक्री जारी की है जो नल एण्ड वोईड है । सम्पूर्ण

आराजी का मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है और न ही आस–पास के समस्त खातेदारों की पैमाईश की गई है । तहसील के जवाब में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस दिशा की कितनी आराजी वादी के खाते की मिलाई गई है । पटवारी हल्का के बयान भी नहीं कराये गये हैं । सेटलमेंट की जमाबन्दी पेश नहीं की है । रास्ते की आराजी गलत रूप से वादी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई है इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया है । वादी ने स्वयं अपनी जिरह में माना है कि उनका कब्जा सिर्फ 12 बीघा भूमि पर ही है जिस आराजी पर वादी का कब्जा नहीं है उसके बाबत् घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2022 पेज 711, आरआरडी 2006–07 (सप्ली) पेज 208, आरआरटी 2012 (2) पेज 1267, आरआरटी 2009 (2) पेज 1370, आरआरटी 2017 (2) पेज 1004, आरआरटी 2014 (2) पेज 1356 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि एक से अधिक प्रतिवादी हैं ऐसी स्थिति में किसी एक प्रतिवादी की मृत्यु होने से दावा अबेट नहीं होगा । वादी को जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा साबिक खसरा नम्बर 94 की 08 बीघा 13 बिस्वा और साबिक खसरा नम्बर 108 की 07 बीघा 02 बिस्वा कुल 15 बीघा 15 बिस्वा आराजी का आवंटन सन् 1973 में किया गया और भूमि पर दखल दिया गया था । सेटलमेंट के द्वारा इस आराजी के नये खसरा नम्बर कायम किये गये और नये खसरा नम्बर 167 रकबा 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 191 की 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 192 रकबा 0.18 हैक्टर कुल रकबा 1.10 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 229 रकबा 0.82 हैक्टर कुल 1.92 हैक्टर वादी के नाम खाते में दर्ज की गई जो लगभग 12 बीघा के बराबर है । इस प्रकार लगभग 03 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी के खाते कम दर्ज की गई है जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था । रेस्पोडेन्ट वादी ने अपने दावे के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी साबिक नम्बरान, नामान्तरकरण और हाल खसरा नम्बर की नकल जमाबन्दी पेश की है। सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरान्त निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.09.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 के अनुसार वकील प्रतिवादी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे शामिल मिसल किया गया है । इसके उपरान्त दिनांक 17.05.2017 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी के द्वारा साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे वकील वादी के द्वारा जिरह की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में दिनांक 27.04.2017 को आ गया था कि प्रतिवादी बृह्मानन्द की मृत्यु दिनांक 16.03.2017 को हो चुकी है । ऐसी स्थित में मृतक प्रतिवादी के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था परन्तु न तो कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही संशोधित टाईटल पेश किया गया था । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो विधि –विरूद्ध है ।

12. विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा उद्धरत नजीरें आरआरटी 2012 (2) पेज 1267, आरआरटी 2009 (2) पेज 1370 यहॉ चस्पा होती हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में बृह्मानन्द के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 26.09.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक बृह्मानन्द के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 02.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा